फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत : सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर

जिला हनुमानगढ

सुनीता आदि बनाम मुकेश आदि

किस्म मुकदमा : 212 आर.टी. एक्ट

प्रकरण संख्या 271 /2023

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख फर्द अहकाम की हुक्म की तामील जारी हुआ
01.12.2023	यह प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण की ओर से जरिये अधिवक्ता राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 212 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया । प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे । वकील प्रार्थीगण की इकतरफा बहस सुनी । पत्रावली का अवलोकन किया । प्रार्थना पत्र के संलग्न दस्तावेजों व शपथ पत्र के आधार पर प्रथम दृष्ट्या प्रकरण प्रार्थीगण के पक्ष में प्रतीत होता है । अत : प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज व शपथ पत्र के आधार पर इस आशय की अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि अप्रार्थी संख्या–01 आगामी तारीख पेशी तक रोही मौजा चक 30 एनटीआर तहसील नोहर की जमाबन्दी संवत् 2070–2073 के खाता संख्या 64/61 के कुल किता 55 की 11.385 हैक्टेयर वादभूमि में प्रार्थीगण के हक व हिस्से की भूमि को रहन, बैय, मुन्तकिल न करे। उपरोक्त स्थगन मंजूरशुदा रास्ता व मंजूरशुदा खाला पर लागू नहीं होगा । वकील प्रार्थीगण रजिस्टर्ड सम्मन पेश करे। पत्रावली वास्ते तलबी अप्रार्थीगण दिनांक : 06.01.2024 को पेश हो । सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर (हनुमानगढ)	
6/1/24	पत्रावली पेश हुई श्रीमान्‌जी पी.ओ. साहब :: अन्य कार्य में व्यस्त पत्रावली दि० 19-1-24 को पेश हो	
19/1/24	पत्रावली पेश हुई श्रीमान्‌जी पी.ओ. साहब अन्य कार्य में व्यस्त पत्रावली दि० 05/3/24 को पेश हो	
5/3/24	वकील सायल ने [illegible] निवेदन किया [illegible] पक्षकार की [illegible] चलाना चाहता [illegible] खारिज किया जावे [illegible]	[illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.02 18:16:58 IST
Reason: SelfAttested

सायल के द्वारा अपना प्रार्थना पत्र नहीं चलाने के कारण खारिज किया जाता व पत्रावली दाखिल दफ्तर हो

उपखण्डाधिकारी (रा...
नोहर (हनुमानगढ़)

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.02 18:16:58 IST
Reason: SelfAttested